उपजिलाधिकारी	बजुलाल फरीदीन हाजिर। मूल वाद में PO हो चुकी है इसलिए अवैध खनन चालान का कोई औचित्य नहीं है अवैध खनन खनिज आधार पर हो अतः अवैध खनन खनिज बिना चालान के अवैध रूप से ही मिलते पाया जाना होकर नंबर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़